राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1892/2025

हरीओम **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग, भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.02.2025
आदेश की दिनांक : 03.03.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अधिवक्ता

आदेश

मामले की आवश्यकता प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 23.12.2013 (अनुलग्नक–1) द्वारा प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई थी तथा अपीलार्थी ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बड़ी उदई, सवाईमाधोपुर में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। अपीलार्थी के पास बीएससी, बीएड की योग्यता है तथा इसे अपीलार्थी के सेवा रिकार्ड में भी जोड़ा गया है, इसलिए वह वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र है। प्रयोगशाला सहायक के पद से पदोन्नति के लिए दो विकल्प है, एक वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक और दूसरा वरिष्ठ अध्यापक, जो अभ्यर्थी की योग्यता अनुसार है। प्रत्यर्थी विभाग ने डीपीसी के तहत वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 09.01.2024 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी को डीपीसी वर्ष 2021–22 के तहत वरिष्ठ प्रयोशाला सहायक के पद पर पदोन्नति किया गया। प्रत्यर्थी विभाग ने उम्मीदवारों से विकल्प मांगे बिना ही पदोन्नति आदेश जारी कर दिया, जिसके द्वारा अपीलार्थी को गलत तरीके से वरिष्ठ अध्यापक के बजाय वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी ने अभ्यावेदन अनुलग्नक–3 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके पास वरिष्ठ अध्यापक तथा वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए सभी पात्रता

मानदंड है तथा दोनों पदों के लिए औपचारिकताएं अलग–अलग समिति द्वारा ली जानी है तथा राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 2021 भाग 5 बिन्दु संख्या 32 के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता तथा प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति के मामले में विकल्प मांगने का प्रावधान है इसलिए अगले उच्च पद पर पदोन्नति के लिए जहां पदोन्नति के दो पद निर्धारित है, अभ्यर्थी से विकल्प मांगा जाना चाहिए तथा विकल्प मांगे जाने के अभाव में पात्र अभ्यर्थी की सहमति के बिना पदोन्नति आदेश जारी करना अवैध तथा मनमाना है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि वह पदोन्नति आदेश जारी करने से पहले अपीलार्थी से विकल्प पत्र मांगे और अपीलार्थी द्वारा भरे गए विकल्प के आधार पर उसे पदोन्नत करे।

हमने विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन लम्बित है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत किए गये अभ्यावेदन को राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी एक माह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य